राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण

क. राजकोषीय नीति का सिंहावलोकन

1. भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए सरकार ने 2009-10 के बजट में राजकोषीय विस्तारकारी उपाय जारी रखने का सचेत निर्णय लिया। इस नीति का उद्देश्य सरकारी व्यय बढ़ाना था ताकि मांग बढ़ाई जा सके और विकास व आर्थिक पुनरूद्धार की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। कम राजस्व प्राप्तियों के बावजूद सरकारी व्यय बढ़ाने का सरकार का उपर्युक्त निर्णय और मांग सृजित करते हुए अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना समाज के कमजोर वर्गों और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को आर्थिक मंदी के प्रभाव से बचाने के सिद्धांत द्वारा मार्गदर्शित था और इसके साथ ही उच्च वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था का पुनरूद्धार सुनिश्चित करना था। इन उपायों से संवृद्धि में बढ़ोतरी और मध्यावधि में राजस्व में वृद्धि बहाल करने की संभावना थी और राजकोषीय समेकन के मार्ग पर लौटने के लिए अपेक्षित वित्तीय गुंजाइश उपलब्ध कराना था। इस प्रकार 2009-10 के बजट अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) का 6.8 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा इसी पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।

2 इन उपायों का सकारात्मक प्रभाव 2009-10 के पूर्वार्द्ध में वास्तविक स.घ.उ. में दर्ज की गई 7 प्रतिशत की वृद्धि से देखा जा सकता है जब विश्व की अधिकतर विकसित अर्थव्यवस्थाएं अपनी गति बनाए रखने का भरसक प्रयास कर रही थीं। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में 2009-10 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, हालांकि ऐसी संभावनाएं हैं कि यह वास्तव में इससे थोड़ी सी अधिक हो सकती है।

3. भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी के प्रभावों से बचाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के परिणामस्वरूप राजस्व में गिरावट और सरकारी व्यय में प्रचुर वृद्धि हुई जिस कारण एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत अधिदेशित राजकोषीय समेकन के पथ से विपथन हुआ। अर्थव्यवस्था के उच्च पथ पर चलने के कारण स.घ.उ.-सकल कर अनुपात जो 2007-08 में बढ़कर सर्वकालिक 12 प्रतिशत हो गया था, अर्थव्यवस्था के विकास में मंदी और कर/शुल्क दरों में कटौती के कारण क्रमिक रूप से गिरकर 2008-09 में 10.9 प्रतिशत और 2009-10 के संशोधित अनुमान में 10.3 प्रतिशत हो गया। साथ ही स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय 2007-08 में 14.4 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 15.8 प्रतिशत और 2009-10 के संशोधित अनुमान में 16.6 प्रतिशत हो गया। विगत 2 वर्षों में वित्तीय विस्तार के परिणामस्वरूप उच्च राजकोषीय घाटा हुआ, जो 2008-09 में स.घ.उ. का 6 प्रतिशत और 2009-10 के संशोधित अनुमान में स.घ.उ. का 6.7 प्रतिशत था। इसके अलावा, स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा बदतर होकर 2008-09 और 2009-10 के संशोधित अनुमान में क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 5.3 प्रतिशत हो गया। 2009-10 के संशोधित अनुमान में राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम और नियमावली के अधीन निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में अधिक है। एफआरबीएम अधिनियम और नियमावली के अधीन अधिदेश से विपथन का सहारा चिन्हित क्षेत्रों में वर्धित सरकारी व्यय के माध्यम से मांग बढ़ाते हुए वैश्विक मंदी के दौर में अर्थव्यवस्था को उच्च विकास पथ पर रखने के उद्देश्यों के लिए लिया गया था।

4. तथापि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2009-10 के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा मोटे तौर पर 2009-10 के बजट अनुमान के अनुरूप ही बना रहा है। इसके अतिरिक्त, 2008-09 में स.घ.उ. के 7.8 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे (तेल और उर्वरक बांडों सहित) के विपरीत पिछले वित्त वर्ष की कम वसूलियों में 10,306 करोड़ रुपए के तेल बांडों के प्रभाव सहित तुलनीय राजकोषीय घाटा 2009-10 के संशोधित अनुमान के अनुसार स.घ.उ. का 6.9 प्रतिशत है। घाटे के ये दोनों आंकड़े केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित संशोधित स.घ.उ. अंकों पर आधारित हैं। यह 2008-09 की तुलना में 2009-10 में राजकोषीय घाटे में स.घ.उ. के लगभग 1 प्रतिशत के स्पष्ट सुधार का संकेत देता है। सरकार ने तेल और उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडियों के बदले में सरकारी प्रतिभूतियां जारी करने से बचने का सचेत प्रयास किया है। सरकार बांडों के माध्यम के बजाय सरकारी सब्सिडी नकद देने की अपनी प्रवृत्ति बनाए रखना चाहेगी। यह सब्सिडी से जुड़ी सभी देयताओं को सरकारी वित्तीय लेखांकन में लाने की ओर एक बड़ा कदम है।

5. जुलाई 2009 में प्रस्तुत किए गए राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण में यथाउल्लिखित अनुसार मध्यावधिक उद्देश्य संरचनात्मक राजकोषीय सुधारों और आर्थिक स्थिति में सुधार के चलते विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन पर बल देते हुए शीघ्रातिशीघ्र राजकोषीय समेकन के पथ पर लौटना है। पुनरूद्धार प्रक्रिया को जोखिम में रखे बगैर सरकार आर्थिक दशाओं में सुधार के चलते कार्ययोजनाओं से निकासी पर विचार कर रही है।

6. भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ विश्व की कुछ अन्य अर्थव्यवस्थाओं में समुत्थान के लक्ष्यों की पृष्ठभूमि में 2010-11 का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन विश्व अर्थव्यवस्था में संपूर्ण पुनरूद्धार की भविष्यवाणी करना अभी जल्दबाजी होगी और सरकार को अपनी निकासी कार्ययोजना में सतर्क रहना होगा। 2008-09 के उत्तरार्ध में 5.8 प्रतिशत की औसत वृद्धि की तुलना मे 2009-10 के उत्तरार्ध में स.घ.उ. में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाती है कि वित्तीय प्रोत्साहनों ने परिणाम दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रत्यक्ष कर

प्राप्तियों में अनुमान से बेहतर परिणामों के साथ ही हाल के महीनों में विनिर्माण क्षेत्र से प्रभावशाली वृद्धि के आंकड़े सरकार को 2010-11 से शुरू करके क्रमिक तरीके से राजकोषीय समेकन के मार्ग पर लौटने के अवसर प्रदान करते हैं। 13 वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में भी राजकोषीय समेकन की कार्ययोजना दर्शायी है।

ख. 2010-11 हेतु राजकोषीय नीति

7. वर्ष 2010-11 की राजकोषीय नीति 2008-09 और 2009-10 के दौरान किए गए राजकोषीय विस्तार से लिए गए क्रमिक समायोजन के सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित की जा रही है। यह समायोजन पथ इस तरह तैयार किया जा रहा है कि इससे पुनरूत्थान की प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और साथ-साथ मध्यावधिक संदर्भ में सरकार का स.घ.उ. के संदर्भ में ऋण का अनुपात स्थिर होगा। 2009-10 के मध्यावधिक राजकोषीय नीतिगत विवरण में सरकार ने 2010-11 और 2011-12 के दौरान राजकोषीय समेकन के लिए एक रोडमैप तैयार किया था। सरकार जुलाई 2009 में की गई इन वचनबद्धताओं का पालन कर रही है। इसने राजकोषीय समेकन संबंधी 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों से भी लाभ उठाया है। तद्नुसार, ब.अ. 2010-11 में राजकोषीय घाटा कम करके स.घ.उ. के 5.5 प्रतिशत के स्तर पर लाया गया है। राजकोषीय घाटे का यह सुधार कुल व्यय में स.घ.उ. के 0.3 प्रतिशत (ब.अ. 2009 में 16.6 प्रतिशत से ब.अ. 2010-11 में 16.0 प्रतिशत) की कमी आने, सकल कर राजस्व में स.घ.उ. के 0.4 प्रतिशत (ब.अ. 2009-10 में 10.4 प्रतिशत से ब.अ. 2010-11 में 10.8 प्रतिशत) की वृद्धि होने तथा ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्ति में स.घ.उ. के 0.6 प्रतिशत (ब.अ. 2009-10 में 0.1 प्रतिशत से ब.अ. 2010-11 में 0.7 प्रतिशत) की वृद्धि होने के कारण हुआ कहा जा सकता है। उपर्युक्त सभी आंकड़े संशोधित स.घ.उ. के आंकड़ों के संदर्भ में हैं।

8. सरकार के कुल व्यय में 2008-2010 की राजकोषीय विस्तार की अवधि के दौरान 19.6 प्रतिशत की संयोजित औसत वार्षिक वृद्धि दर देखी गई है। व्यय में वृद्धि का यह स्तर अनियमित है। आने वाले वित्त वर्ष और अगले दो वर्षों के लिए सरकार ने घाटा कम करने के लिए व्यय की वृद्धि दर कम करने का प्रयास किया है। तद्नुसार, स.घ.उ. के प्रतिशतांक के रूप में आयोजना भिन्न व्यय ब.अ. 2009-10 में 11.3 प्रतिशत के स्तर से कम करके ब.अ. 2010-11 में 10.6 प्रतिशत के स्तर पर लाया गया है। इसी के साथ, आयोजना व्यय के लिए पर्याप्त संसाधनों का ब.अ. 2010-11 में स.घ.उ. का 5.4 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है जबकि यह ब.अ. 2009-10 में 5.3 प्रतिशत था। 2011-12 और 2012-13 के लिए स.घ.उ. के प्रतिशतांक के रूप में कुल व्यय आगे और कम करके क्रमशः 15.2 प्रतिशत तथा 14.6 प्रतिशत पर लाया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, ब.अ. 2009-10 में 16.6 प्रतिशत के स्तर से स.घ.उ. के 2 प्रतिशत तक सुधार हुआ। व्यय में यह समायोजन मुख्यतः आयोजना-भिन्न खाते पर और प्रमुख योजनाओं के लिए पर्याप्त आबंटन करने के बाद भारत निर्माण कार्यक्रम तथा अवसंरचना क्षेत्र पर होगा। व्यय की संरचना में हुआ यह सुधार अधिकतर आयोजना व्यय (ब.अ. 2010-11 में 97.8 प्रतिशत) के लिए उधार लिए गए संसाधनों को लगाए जाने के रूप में परिवर्तित होगा। यह ब.अ. 2009-10 में केवल 81.1 प्रतिशत के मुकाबले आगे और बढ़कर 2012-13 में 122.9 प्रतिशत तक हो जाने का अनुमान है।

9. सब्सिडियां, करों, विनिवेश तथा अन्य व्यय जैसे राजकोषीय प्रबंधन के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए संस्थागत सुधार उपायों के साथ राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का सरकार का इरादा बजट 2009-10 में जाहिर किया गया था। यूरिया के खुदरा मूल्य में बढ़ोतरी करके उर्वरक सब्सिडी में पोषण आधारित सब्सिडी (एनबीएस) प्रणाली की ओर रूख करने संबंधी सरकार का निर्णय ऊपर उल्लिखित इरादे को ठोस कार्रवाई में परिवर्तित करने के कई उपायों में से एक है। एनबीएस प्रणाली के अंतर्गत सब्सिडीकृत पोषक तत्वों पर दी जाने वाली सब्सिडी नियत बनी रहेगी तथा कृषकों के स्तर पर सब्सिडीकृत उर्वरकों के खुदरा मूल्य विनिर्माताओं/आयातकों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। सरकार उर्वरक उद्योग के परामर्श से इस तरह हस्तक्षेप करेगी कि गैर-यूरिया उर्वरकों की कृषकों के स्तर पर कीमतें यथासंभव वर्तमान कीमतों के आसपास रखी जाएं ताकि किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इससे कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी के साथ उर्वरक के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा मिलने की भी आशा है। उर्वरक उद्योग को मुक्त करने से इस क्षेत्र में नए निवेश उत्पन्न होने की आशा है।

10. पेट्रोलियम सब्सिडी युक्तिसंगत बनाने के संबंध में उपर्युक्त विषय पर पारीख समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। पिछली परिपाटी से हटकर सरकार वर्ष 2009-10 में पेट्रोलियम सब्सिडी प्रतिभूतियों के स्थान पर नकद रूप में देने पर सहमत हुई है। सरकार का इरादा यह है कि तेल विपणन कंपनियों को अल्प वसूलियां, यदि कोई हों, के लिए प्रतिपूर्ति केवल नकदी में ही अदा करना जारी रखा जाए।

11. यह अनुमान है कि स.घ.उ. के प्रतिशतांक के रूप में सब्सिडी व्यय सं.अ. 2009-10 में 2.1 से गिरकर ब.अ. 2010-11 में 1.7 प्रतिशत रह जाएगा तथा आगे और गिरकर 2011-12 और 2012-13 में क्रमशः 1.6 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत रह जाएगा।

कर नीति

प्रत्यक्ष कर

12. पिछले दशक में प्रत्यक्ष करों में काफी वृद्धि हुई। सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में प्रत्यक्ष कर 1999-2000 में 2.97 प्रतिशत था जो बढ़कर 2008-09 में 6.36% हो गया है। इस अवधि में, केन्द्र द्वारा संग्रहित कुल करों में प्रत्यक्ष करों का योगदान 33.8% से बढ़कर 55.5% हो गया है।

13. प्रत्यक्ष कर योगदानों मे यह वृद्धि निम्नलिखित नीतिगत उपायों के कारण हुई है:

(i) कर आधार बढ़ाकर और संतुलित कर दरें रखकर कर संरचना में गड़बड़ियों को कम से कम किया गया;

(ii) बेहतर करदाता सेवाएं प्रदान करके एवं निवारण स्तरों को भी बढ़ाकर कर प्रशासन को सुदुढ़ बनाया गया। ये दोनों उद्देश्य एक दूसरे को मजबूत करते हैं और इनसे स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा मिला है।

(iii) सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात् कर-संग्रहणों की इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिंग, विवरणियां इलेक्ट्रोनिक रूप से भरने, ईसीएस और रिफंड बैंकर्स के माध्यम से रिफंड जारी करना, संवीक्षा के लिए विवरणियों का कम्प्यूटर की सहायता से चयन, कर के लिए दायी विदेशी धन-प्रेषणों की इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिंग, कर दाताओं को आन लाइन रिपोर्टिंग एवं स्रोत पर कर कटौती की ई-मेलिंग आदि के व्यापक इस्तेमाल से आयकर विभाग में कारबार प्रक्रियाएं पुनः तैयार की गयी हैं। इन उपायों से विभाग का आधुनिकीकरण हो गया है और इसकी कार्यात्मक दक्षता में बढ़ोतरी हुई है।

14. वर्ष 2009-10 के केन्द्रीय बजट में यह घोषणा की गई थी कि एक प्रारूप प्रत्यक्ष कर संहिता 45 दिन के भीतर जारी की जाएगी। परिचर्चा पत्र के साथ प्रारूप संहिता अगस्त, 2009 में जारी की गई जिसमें जनता से विचार मांगे गए। प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता एक नया विधान है जो वर्तमान आयकर और धनकर अधिनियमों को प्रतिस्थापित करेगी। यह सीधी और सरल भाषा में तैयार की गई है और यह व्यापक कराधार, कर की कम दरों और प्रभावी प्रवर्तन कार्यनीति के तत्वज्ञान पर आधारित है। इस संहिता में कराधार को व्यापक बनाने के लिए छूटों और कटौतियों को कम से कम रखने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें लाभ संबद्ध कटौतियों को समाप्त करने और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में निवेश संबद्ध कटौतियां शुरू करने का भी प्रस्ताव किया गया है। साथ ही साथ इसमें व्यापक स्लैबों के साथ कर की सामान्य दरों का समर्थन किया गया है। इन उपायों से मुकदमेबाजी में कमी लाने और कर प्रशासन को बेहतर कर दाता सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में और कर अपवंचन और कर चोरी पर फोकस करने में सहायता मिलेगी। प्रारूप संहिता और परिचर्चा पत्र से स्वास्थ्य संबंधी बहस उत्पन्न होगी और कई सुझाव प्राप्त होंगे। प्राप्त निविष्टियों के विश्लेषण के पश्चात् विधान के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा और संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

15. विगत उपलब्धियों को समेकित और अग्रेषित करने हेतु आशयित केन्द्रीय बजट 2010-11 में किए जाने वाले प्रमुख नीतिगत प्रस्ताव निम्नलिखित हैः

(i) व्यक्तियों के लिए आयकर स्लैबों को उदार बनाकर व्यक्तिगत आय कर (पीआईटी) दर ढांचे का यौक्तिकीकरण। इससे अधिकांश करदाताओं की कर देयता में कमी आएगी।

(ii) कॉरपोरेट आयकर (सीआईटी) पर 10 प्रतिशत के अधिभार को घटाकर 7.5 प्रतिशत करना। यह अधिभारों को समाप्त करने की पहल का एक भाग है। पीआईटी पर लगने वाला अधिभार विगत वर्ष पहले ही हटाया जा चुका है।

(iii) कम्पनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) की मौजूदा 15 प्रतिशत की दर को बढ़ाकर 18 प्रतिशत करना। इससे कम्पनियों के कराधान में *परस्पर* इक्विटी बढ़ेगी और प्रभावी कर दर, जो वर्तमान में 33.99 प्रतिशत की अंकित दर के मुकाबले लगभग 22 प्रतिशत है, में बढ़ोतरी होगी।

(iv) कई ऐसे लेन-देनों, जो स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के अधीन होते हैं, पर प्रारंभिक सीमाओं को बढ़ाना। इससे कटौतीकर्त्ता और करदाता के अनुपालन भार में कमी आएगी और कर प्रशासन को टीडीएस क्रेडिट के लिए दावों पर कार्यवाही सक्षम रूप में करने के लिए समर्थ बनाएगा।

(v) छोटे करदाताओं पर कारोबार प्रारंभिक स्तर, को बढ़ाकर अनुपालन भार को कम करना। जिसके बाद के व्यापार 40 लाख रूपए से 60 लाख रूपए तक के लेखों की अनिवार्य रूप से लेखापरीक्षा कराई जानी है। छोटे करदाताओं के अनुपालन भार को कारोबार के 8 प्रतिशत की कराधान की आनुमानिक दर प्रदान कर कम किया जा रहा है और अनेक कर की अग्रिम किस्तों के बजाए स्व मूल्यांकन कर के रूप में कर देयता के भुगतान की अनुमति दी जा रही है।

(vi) यह प्रस्ताव करके कि ऐसा रूपांतरण पर आय कर अधिनियम के अधीन पूंजी लाभ कर देयता नहीं होगी, सीमित देयता भागीदारी में रूपांतरित करके छोटी कंपनियों को अपना विनियामक और अनुपालना भार कम करने में समर्थ बनाना।

(vii) आय कर समाशोधन आयोग के समक्ष दायर किए जाने वाले मामलों का दायरा बढ़ाकर मुख्य कर विवादों का समाशोधन शीघ्रतापूर्वक करना, प्रारंभिक सीमा से अधिक तलाशी की कार्यवाहियों से संबंधित मूल्यांकनों से उत्पन्न विवादों को भी शामिल करना।

16. बेहतर कर दाता सेवा मुहैया कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रत्यक्ष कर नीति की बुनियाद रही है। आय कर विवरणियों का बड़ी मात्रा में प्रक्रियान्वयन आय कर विभाग द्वारा संचालित व्यापार प्रक्रिया रिइंजीनियरिंग अध्ययन की मुख्य सिफारिश है। कर्नाटक राज्य में दायर सभी ई-फाइल आय कर विवरणियों तथा कागजाती विवरणियों के प्रक्रियान्वयन के लिए बंगालूरू में केन्द्रीयकृत प्रक्रियान्वयन केन्द्र स्थापित किया गया है। सीपीसी ने इस वर्ष के दौरान कार्य करना आरंभ कर दिया है और यह वर्तमान में प्रतिदिन 20,000 विवरणियों का क्रियान्वयन कर रहा है। आगामी वर्ष में और दो सीपीसी को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। यह अभिक्रिया विवरणियों के तेजी से प्रक्रियान्वयन और धन वापसी जारी करके बेहतर करदाता सेवा मुहैया कराने में सहायता करेगी।

अप्रत्यक्ष कर

17. हालिया वर्षों में अप्रत्यक्ष करों के लिए नीति का मध्यावधिक उद्देश्य कर स.घ.उ. अनुपात में सुधार द्वारा राजकोषीय समेकन हासिल करना रहा है। यह कर की दरों में संतुलन के साथ साथ कराधार बढ़ाने एवं छूटों को हटाकर हासिल किया जाना है। यह आशा की जाती ही कि ये उपाय स्वैच्छिक अनुपालना प्रोत्साहित करेंगे। प्रक्रियात्मक सरलीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी उन्नत आंतरिक व्यापार प्रक्रियाओं को कर विभाग द्वारा अपनाए जाने पर समान रूप से बड़ा बल दिया जाता है ताकि कर दाता और कर प्रशासन के बीच दैनंदिन वास्तविक अन्तरामुख कम किया जा सके।

18. विशिष्ट अर्थ में, घोषित लक्ष्य केन्द्र तथा राज्यों दोनों के सम्बन्ध में व्यापक वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) की दिशा में आगे बढ़ना है। प्रपाती तथा दोहरे कराधान की समस्याओं का समाधान करके, अप्रत्यक्ष कराधान क्षेत्र में किए गए इस मुख्य सुधार से अर्थव्यवस्था में क्षमता तथा विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देने की आशा है जिससे कर संग्रहणों में उछाल आएगा। मौजूदा राजकोषीय वर्ष 2009-10 ने प्रस्तावित जीएसटी के मॉडल को अन्तिम रूप देने सम्बन्धी विचार विमर्श में पर्याप्त प्रगति देखी है। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने नवम्बर 2009 में जीएसटी के मॉडल और खाका सम्बन्धी पहलों का चर्चा पत्र जारी किया। इसके अतिरिक्त, व्यापार, उद्योग तथा अन्य हितधारकों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित इस मॉडल की सुधार प्रक्रिया जारी है।

19. सितम्बर, 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट और उसके परिणामस्वरूप निर्यात बाजारों के संकुचन से भारत में आर्थिक मंदी देखी गयी। गहराते संकट की आशंका का मुकाबला करते हुए सरकार को समग्र मांग में तेजी लाने हेतु राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों के तीन दौर चलाने पड़े। इन पैकेजों का एक महत्वपूर्ण घटक गैर पेट्रोलियम उत्पादों हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरो में एक समान व्यापक कटौती करना तथा सेवा कर की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना था।

20. वित्तीय संकट पैदा होने से पहले, कच्चे पेट्रोलियम और अन्य वस्तुओं की अन्तरराष्ट्रीय कीमतों में आयी तेजी ने एक गम्भीर वृहत् आर्थिक चुनौती प्रस्तुत की। परिणामस्वरूप, जून 2008 में कच्चे पेट्रोलियम और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों प्रत्येक पर आयात शुल्क को 5 प्रतिशतांक अंकों तक घटाया गया और मोटर स्प्रिट तथा डीजल पर उत्पाद शुल्क दरों में भी भारी गिरावट आयी।

21. एक साथ लिए गए इन सभी उपायों से 2008-09 में अप्रत्यक्ष करों से राजस्व संग्रहणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। मौजूदा राजकोषीय वर्ष में उनके जारी रहने का तात्पर्य है कि सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर से प्राप्त राजस्व संग्रहण 2009-10 के दौरान निरन्तर दबाव में बने रहे। इसलिए राजकोषीय समेकन के उद्देश्य आर्थिक सुधार के हित में अस्थाई रूप से निलम्बित करने पड़े और विकास की गति को बनाए रखा जा सका। इन उपायों ने अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र, में भारी सकारात्मक प्रभाव डाला, चूंकि सरकार राजकोषीय सुधार अथवा समेकन के पथ पर धीरे-धीरे वापस लौटने हेतु प्रयासरत है, इसलिए सुधार तथा विकास पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। बजट 2010-11 में निहित कुछ प्रस्तावों का उद्देश्य इस प्रयोजन की पूर्ति करना है। इस दिशा में किए गए महत्वपूर्ण प्रयास निम्न प्रकार हैं:

केंद्रीय उत्पाद शुल्क

- दिसंबर, 2008 और फरवरी, 2009 में लगातार दो कटौतियों के बाद 8% की उत्पाद शुल्क (सैनवेट) की मानक दर बढ़ाकर 10% कर दी गई है।
- पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले शुल्क में प्रति लीटर 1 रूपए की बढ़ोतरी की गई है।
- सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर लगने वाला शुल्क बढ़ा दिया गया है।
- बड़ी कारों, बहु उपयोगी वाहनों और खेलों में प्रयुक्त वाहनों (एसयूवी) पर उत्पाद शुल्क का यथामूल्य घटक 20% से बढ़ाकर 22% प्रतिशत किया गया है। शुल्क का विशिष्ट घटक अपरिवर्तित रहेगा।
- इस समय सीमेंट पर 8% शुल्क है जो बढ़कर अब 10% होगा। जहां सीमेंट पर शुल्क की विशिष्ट दरें लागू होती हैं उन मामलों में ये भी समानुपातिक रूप से बढ़ा दी गई हैं।
- कई वस्तुओं के लिए उपलब्ध पूरी अथवा आंशिक छूटें/रियायतें हटाई गई और उन पर 4% अथवा 10% की दर से शुल्क लगाया गया है।

सीमा शुल्क

- गैर कृषि वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क की उच्चतम दर जो 10% है में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
- क्रम संख्या अंकन वाली सोने की छड़ों (तोला छड़ों को छोड़कर) और सोने के सिक्कों पर लगने वाला सीमा शुल्क '200 रूपए प्रति 10 ग्राम' से बढ़ाकर '300 रूपए प्रति 10 ग्राम' किया गया है। सोने के अन्य प्रकारों पर यह शुल्क '500 रूपए प्रति 10 ग्राम' से बढ़ाकर '750 रूपए प्रति 10 ग्राम' किया गया है। चांदी के मामले में यह शुल्क '1000 रूपए प्रति किलो ग्राम से बढ़ाकर 1500 रूपए प्रति किलो ग्राम' किया गया है। प्लाटिनम पर '200 रूपए प्रति 10 ग्राम' की पहले की दर की तुलना में '300 रूपए प्रति 10 ग्राम' का सीमा शुल्क लगेगा।

- पेट्रोलियम क्षेत्र में इन पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया है। कच्चे पेट्रोलियम पर शून्य से 5%; पेट्रोल और डीजल पर 2.5% से 7.5% तथा अन्य विनिर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों पर 5% से 10%।

सेवा कर

- 24.02.2009 से प्रयोज्य 10% के सेवा कर की दर जारी रखी गई है।
- आठ नई सेवाएं सेवा कर के दायरे के तहत लाई जा रही हैं।
- बचाव के रास्ते बंद करने और कर वंचना पर अंकुश लगाने के लिए कई विद्यमान सेवाओं के कार्यक्षेत्र में संशोधन किया गया है।

आकस्मिक और अन्य देयताएं

22. एफआरबीएम अधिनियम केन्द्र सरकार को गारंटियों के रूप में आकस्मिक देयताओं के अनुमान के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्दिष्ट करना अधिदेशित करता है। तद्नुसार एफआरबीएम नियमावली किसी वित्तीय वर्ष में गारंटियों की उस प्रमात्रा पर, जो केन्द्र सरकार किसी विशेष वित्तीय वर्ष में मान सकती है, स.घ.उ.के 0.5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा विहित करती है। केन्द्र सरकार मुख्यतया बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेन्सियों से प्राप्त ऋणों बॉण्ड निर्गमों और सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए अन्य ऋणों के संबंध में गारंटियां प्रदान करती है। सरकार द्वारा गारंटियों के रूप में प्रदान की जाने वाली आकस्मिक देयताओं का स्टॉक वर्ष 2004-05 में अर्थात एफआरबीएम अधिनियम की व्यवस्था के प्रारंभ के 1,07,957 करोड़ रुपए से बढ़कर 2008-09 में 1,13,335 करोड़ रुपए हो गया। स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में यह वर्ष 2004-05 के 3.3 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में 2.0 प्रतिशत रह गया। एफआरबीएम नियमावली, 2004 में यथा निर्धारित बकाया गारंटियों संबंधी प्रकटन विवरण प्राप्ति बजट में अनुबंध 3 (iii) के रूप में संलग्न है।

23. सरकार द्वारा गारंटी के रूप में आकस्मिक देयता के अनुमान से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने में मदद मिली है। वर्तमान में जब अनेक अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत कार्यान्वित की जा रही हैं, वैश्विक वित्तीय बाजार में वर्तमान अनिश्चितताओं के कारण वित्तीय समापन की प्रक्रिया में कठिनाइयाँ आ रही हैं। राजकोषीय अड़चनों को देखते हुए और ऊपर उल्लिखित पीपीपी परियोजनाओं के वित्तपोषण की सहायता के उद्देश्य से इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनंसिंग कम्पनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) ने विगत वित्तीय वर्ष 2008-09 में सरकारी गारंटीकृत कर मुक्त बॉण्डों के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। आईआईएफसीएल आगामी वर्षों में आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त राशि समान आधार पर जुटाएगी। आईआईएफसीएल द्वारा इस प्रकार जुटाई गई पूँजी का उपयोग पात्र अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घावधिक परिपक्वता के बैंक उधार को पुनर्वित्त प्रदान करने में किया जाएगा।

24. वर्ष 2009-10 में जनवरी 2010 तक गारंटी के रूप में आकस्मिक देयता का अनुमान 38,778 करोड़ रुपए है, जो 2009-10 के दौरान स.घ.उ. का 0.6 प्रतिशत है और एफआरबीएम नियमावली के तहत निर्धारित स.घ.उ. के 0.5 प्रतिशत के लक्ष्य से कहीं अधिक है। आर्थिक मंदी की पृष्ठभूमि में अर्थव्यवस्था को पुनः शक्ति प्रदान करने हेतु अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं में माँग और निवेश में बढ़ोतरी के लिए यह विचलन आवश्यक हुआ। मध्यावधि में इससे शायद संभाव्य बजटीय प्रभाव नहीं पड़ सकता है परन्तु अतिरिक्त निवेश से अर्थव्यवस्था को अपने विकास पर वापस आने में सहायता मिलेगी और राजस्व के आधिक्य में योगदान होगा।

सरकारी उधार, ऋण और निवेश

25. सरकार की अपने घाटे के वित्तपोषण हेतु उधार संबंधी नीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित रहेगी, (i) विदेशी ऋण के मुकाबले घरेलू उधार पर अधिक निर्भरता, (ii) प्रशासित ब्याज दरों वाली लिखतों के मुकाबले बाजार उधारों को तरजीह, (iii) ऋण पोर्टफोलियो का समेकन और (iv) द्वितीयक बाजार में नकदीकरण में सुधार हेतु सरकारी प्रतिभूतियों के लिए व्यापक बाजार का विकास। बेहतर नकद प्रबंधन हेतु एक नया लिखत "नकद प्रबंधन विधेयक" इस वर्ष प्रस्तुत किया गया है। इस लिखत की अवधि 91 दिनों से कम होगी।

26. वर्ष 2009-10 के दौरान उच्च राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु, सरकारी बाजार उधार में काफी बढ़ोतरी हुई। तथापि चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित कैलेंडर के अनुसार संसूचित संसाधनों को जुटाने का कार्य, बाजार में व्यवधान किए बिना, पूरा हुआ। वर्ष 2009-10 के दौरान 19 फरवरी तक केन्द्र सरकार के सकल और निवल बाजार उधार (दिनांकित प्रतिभूतियों और 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों सहित वर्ष 2008-09 के क्रमशः 3,18,550 करोड़ रुपए और 2,42,317 करोड़ रुपए के मुकाबले 4,78,383 करोड़ रुपए और 3,89,627 करोड़ रुपए रहे हैं। 2009-10 के दौरान जारी दिनांकित प्रतिभूतियों की धारित औसत परिपक्वता 2008-09 के दौरान 13.8 वर्षों के मुकाबले 11.2 वर्ष है। 2009-10 के दौरान जारी दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत प्राप्ति 7.23 प्रतिशत है और जो 2008-09 के दौरान 7.69 प्रतिशत की अपेक्षा कम है।

27. वर्ष 2010-11 के दौरान केन्द्र सरकार के सकल तथा निवल बाजार उधार (दिनांकित प्रतिभूतियों) क्रमशः 4,57,143 करोड़ रुपए और 3,45,010 करोड़ रुपए (जीडीपी का 4.98 प्रतिशत) अनुमानित है जबकि 2009-10 के दौरान ये 4,51,000 करोड़ रुपए और 3,98,411 करोड़ रुपए (जीडीपी का 6.46 प्रतिशत) थे।

28. वर्ष 2010-11 के दौरान, राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण राजकोषीय हुंडियों के जरिए अल्पावधि उधार-अथवा नकदी आहरण द्वारा कमी का सहारा लिए बिना, अनुमानित है। 2010-11 के लिए घाटे के वित्त पोषण में बाजार उधार, विदेशी ऋण तथा एनएसएसएफ का हिस्सा क्रमशः 90.5 प्रतिशत, 5.9 प्रतिशत तथा 3.5 प्रतिशत अनुमानित है। तथापि, प्राप्तियों तथा व्यय के बीच अस्थायी अंसतुलन को देखते हुए, सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों का सहारा लेना पड़ सकता है।

29. 1 अप्रैल, 2009 को बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अन्तर्गत बकाया शेष 88,773 करोड़ रुपए था। एमएसएस के अन्तर्गत बकाया शेष 2009-10 के अन्त में 2,737 करोड़ रुपए तक गिरना अनुमानित है। एमएसएस से 45,000 करोड़ रुपए के अपृथक्करण और इसे 2008-09 और 2009-10 के दौरान वर्धित राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में लगाने के सरकारी निर्णय का एक भाग था। 12,000 करोड़ रुपयों का 2008-09 के दौरान अपृथक्करण किया गया। 2009-10 के दौरान 33,000 करोड़ रुपए में से 28,000 करोड़ रुपए की राशि के पृथक्करण का विकल्प अपनाया गया (फरवरी 2010 तक)। ब.अ. 2010-11 में 50,000 करोड़ रुपए की राशि का एमएसएस में नव उपचय अनुमानित है और 2010-11 के दौरान मौजूदा प्रतिभूतियों के मोचन सहित इतिशेष भी 50,000 करोड़ रुपए अनुमानित है।

30. ऋण के विवेकसम्मत प्रबन्धन और रखाव लागत पर अधिक ध्यान देने तथा अनुषंगी बाजार नकदी की पूर्ति हेतु सरकार ने एक मिडल आफिस की स्थापना की जो यथा समय प्रस्तावित ऋण प्रबन्ध कार्यालय में बदल जाएगा। यह मिडल आफिस अब उचित तरीके से मजबूत किया जा रहा है।

31. राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से विनिवेश प्राप्तियों के उपयोग सम्बन्धी नीति में बदलाव आया है। 2009-2012 अवधि के दौरान प्राप्त विनिवेश प्राप्तियां, सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों के वित्तपोषण के प्रयोजनार्थ संसाधनों के रूप में, संगणित की जाएंगी जो पूंजी परिसम्पित्तियों का सृजन कर रही है। तथापि, एनआईएफ के अन्तर्गत 2008-09 तक प्राप्तियों से किए गए निवेश से प्राप्त आय सामाजिक आधारभूत ढांचे के वित्तपोषण हेतु निरन्तर उपयोग में लायी जाती रहेगी तथा एनआईएफ की मूल निधि में कोई कमी लाए बिना सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को व्यवहार्य बनाने हेतु पूंजी उपलब्ध कराएगी।

सार्वजनिक व्यय प्रबन्धन सम्बन्धी पहल

32. यह सुनिश्चित करने के लिए कि बजटीय प्रावधान न केवल वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत व्यय किए जाएं बल्कि वे आशयित परिणामों का कारण भी बनें, इसलिए अब फोकस वित्तीय परिव्यय से परिणामों की तरफ अग्रसरित हुआ है। सरकार ने राष्ट्रपति के जून, 2009 में संसद के संयुक्त अधिवेशन में दिए गए अभिभाषण को रेखांकित करते हुए कहा है कि मुख्य फोकस का क्षेत्र सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावी सुपुर्दगी हेतु शासन में सुधार करना होगा। सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित पहल की जा रही हैं।

- सरकार में नियमित आधार पर कार्यनिष्पादन मानीटरिंग और कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए व्यवस्थाएं स्थापित करना;
  - वित्तीय वर्ष के आरंभ में संबंधित मंत्री के अनुमोदन से प्रत्येक विभाग एक परिणाम ढांचा (आरएफ) दस्तावेज तैयार करेगा;
  - परिणाम-ढांचा दस्तावेज में सूचीबद्ध प्राथमिकताओं के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति के लिए प्रभारी मंत्री विभाग की प्रस्तावित योजनाओं और गतिविधियों को अनुमोदित करेगा;
  - प्रभारी मंत्री इन उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रगति को मापने के लिए तदनुरूप सफलता संकेतकों (मुख्य कार्य-निष्पादक संकेतक-केपीआई अथवा मुख्य परिणाम क्षेत्र-केआरए) और समयबद्ध लक्ष्यों का अनुमोदन करेगा;
  - परिणाम-ढांचा इस ढंग से तैयार किया जाएगा कि त्रैमासिक मानीटरिंग सम्भव हो सके;
  - वर्ष के दौरान, सरकारी कार्यनिष्पादन संबंधी समिति द्वारा परिणाम ढांचे तथा मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतकों पर उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी और इस समीक्षा की रिपोर्ट सम्बन्धित मंत्री के माध्यम से यथा आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की जाएगी;
  - वर्ष की समाप्ति पर, सभी मंत्रालय/विभाग सहमत लक्ष्यों (केपीआई) पर उपलब्धियों की समीक्षा करेंगे और उन्हें सूचीबद्ध करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेंगे; और
  - इन परिणामों को प्रत्येक वर्ष पहली जून तक मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- स्वतंत्र मूल्याकन कार्यालय की स्थापना करके फ्लैगशिप कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही सुदृढ़ करना। यह कार्यालय इन कार्यक्रमों के प्रभाव का समवर्तीरूप से मूल्यांकन करेगा और उसे सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रस्तुत करेगा;
- अकार्यनीतिक क्षेत्रों सहित सभी सूचनाओं को सार्वजनिक जानकारी में रखने के लिए एक सार्वजनिक आंकड़ा नीति कायम करना जिससे नागरिकों को आंकड़ों तक पहुंच बनाने और सीधे तौर पर प्रशासनिक सुधार में प्रवृत्त होने में मदद मिलेगी।
- सभी मंत्रालयों/विभागों को उनके नागरिक घोषणापत्र को अधिक कारगर बनाने और "नागरिकों को प्रमुखता देने हेतु सात स्तरीय माडल" को अनिवार्य रूप से अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।

33. वर्ष 2009-10 के संशोधित अनुमानों को मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध व्यय न किए शेषों का आकलन करने के बाद वित्त वर्ष के शेष महीनों के लिए उनकी व्यय करने की क्षमता पर विचार करने के बाद नियत किया गया है। इसके परिणास्वरूप समग्र व्ययों

का बेहतर प्राक्कलन हो सका है और जरूरतमंद मंत्रालयों/विभागों के संसाधनों की प्राथमिकताओं का पुनर्निधारण हो सका है। वर्ष के दौरान व्यय समान स्तर पर करने और वर्ष की समाप्ति पर बेतहाशा व्यय, जिसके फलस्वरूप परिणामों की खराब गुणवत्ता होती है, से बचने के लिए भी पहल की गई हैं। मार्च के महीने में व्यय को चौथी तिमाही की 33 प्रतिशत की सीमा के भीतर बजट आवंटन के 15 प्रतिशत तक सीमित करने की प्रथा लागू की जा रही है। चुनिंदा अनुदानों की मांगों में तिमाही राजकोषीय नियन्त्रण आधारित नकदी और व्यय प्रबंधन प्रणाली, जिसमें अन्य के साथ-साथ एक मासिक व्यय योजना तैयार करना शामिल है, का निरन्तर पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही, प्रचालनात्मक क्षमता पर असर डाले बिना गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में व्यय कम करने हेतु मितव्ययता अनुदेशों के रूप में कदम उठाए गए हैं। इन सबके परिणास्वरूप प्राथमिकता प्राप्त योजनाओं के लिए उगाही गई प्राप्तियों से पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो सके हैं।

34. निधियों के संचयीकरण से बचने और व्यय पर नजर रखने हेतु महालेखा नियंत्रक के कार्यालय की मदद से आवश्यक मानीटरिंग तंत्र कायम किए गए हैं।

35. केन्द्रीय आयोजना स्कीम मानीटरिंग प्रणाली के अंतर्गत केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं और सरकार की केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए एक केन्द्रीय मानीटरिंग, मूल्यांकन और लेखांकन प्रणाली स्थापित की गई है। इन योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा जारी सभी स्वीकृतियों को अब एक विशिष्ट स्वीकृति आईडी से चिह्नित किया जाता है जिससे विभिन्न कार्यान्वयन एजेन्सियों के बीच उनके लेखांकन और बजट शीर्षों के अनुसार निर्मुक्ति की ट्रेकिंग की जा सकती है। यह केन्द्रीय प्रणाली सीजीए के ई-लेखा पोर्टल पर डाली गयी है।

36. सभी मंत्रालयों/विभागों के व्यय संबंधी आंकड़ों को वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा दैनिक आधार पर ई-लेखा पर अपलोड किया जा रहा है। यह भारत सरकार के लेखा विवरणों के तीव्रतर और सटीक संकलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे एक कोर एकाउटिंग सोल्यूशन का विकास हो सकेगा। मासिक और वार्षिक वित्त और विनियोग लेखाएं नियमित रूप से सीजीए की वेबसाइटः www.cgaindia.gov.in पर अद्यतन किए जाते हैं।

ग. नीतिगत मूल्यांकन

37. राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया 2008-09 और 2009-10 के दौरान अनुभव किए गए विचलन के बाद 2010-11 में पुनः आरंभ की जा रही है। यद्यपि राजस्व आधार अब तक 2007-08 के स्तर तक नहीं बढ़ा है, फिर भी व्यय सुधार करके और विनिवेश आय की सहायता से सरकार 2010-11 में स.घ.उ. के आरंभिक 5.5 प्रतिशत के अनुमानित स्तर पर राजकोषीय घाटा कम करने में समर्थ है। वर्ष 2011-12 में प्रत्यक्ष कर संहिता लाने और 2011-12 में वस्तु एवं सेवा कर शुरू करने की संभावना के कारण यह आशा की जाती है कि 2011-12 और 2012-13 में तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की तर्ज पर राजकोषीय घाटा कम कर दिया जाएगा। घाटे का यह स्तर स.घ.उ. के अनुपात में ऋण घटाकर सं.अ. 2009-10 में 51.1 प्रतिशत से 2012-13 में 48.2 प्रतिशत करेगा। तथापि, एफआरबीएम अधिनियम और नियमों के अंतर्गत, अधिदेशित सुधार हासिल किया जा सकता है, जब एक बार राजस्व सुधार को 2007-08 के पहले के स्तर पर पुनः बहाल कर लिया जाए।

38. तथापि, राजस्व अधिशेष हासिल करने में कठिनाइयां हैं। इसे वर्तमान व्यय संरचना के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना है। केन्द्र सरकार के राजस्व व्यय में, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए राज्यों और कार्यान्वयन अभिकरणों को की गई निमुर्क्तियां भी शामिल हैं। इनमें से बहुत सी योजनाओं के परिणाम राजस्व व्यय से संबंधित परिणामों के स्वरूप के नहीं हैं। अधिकांश मामलों में, ये योजनाएं मुख्यतः टिकाऊ परिसम्पत्तियों के सृजन के स्वरूप की हैं परन्तु ये परिसम्पत्तियां केन्द्र सरकार के स्वामित्वाधीन नहीं हैं। इसलिए, राजस्व और पूंजी लेखे के तकनीकी वर्गीकरण में, केन्द्र सरकार इन योजनाओं पर हुए व्यय को पूंजी व्यय के रूप में दर्शाने में समर्थ नहीं है। ऐसी योजनाओं के उदाहरण हैं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम आदि। वर्षों से ऐसी योजनाओं की संख्या में जिनका निधियन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है और कार्यान्वयन राज्यों/स्वायत्तशासी निकायों द्वारा किया जाता है, महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप केन्द्र से राज्यों/स्वायत्तशासी निकायों को निधियों के अंतरण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जो अधिक राजस्व व्यय में परिणामी हुआ है। तथापि, इन राजस्व व्ययों को अनुत्पादक प्रकृति का नहीं माना जा सकता है। इसके विपरीत, वे अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देते हैं।

39. साथ ही साथ व्यय के वर्तमान वर्गीकरण में, ऋण के रूप में रूग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को किसी प्रकार की निमुर्क्ति को पूंजी व्यय माना जाता है। इसी प्रकार, रक्षा पूंजी व्यय सरकार के कुल पूंजी व्यय की भारी राशि है। वर्तमान में, अवसंरचना संबंधी अधिकांश व्यय सीधे केन्द्र सरकार के पूंजी खाते से निधि पोषित नहीं हाते हैं। इन अभिकरणों को की गई निमुर्क्तियां आवश्यक रूप से केन्द्र सरकार के पूंजी व्यय में परिलक्षित नहीं हो सकती हैं। ऐसे स्वायत्तशासी निकाय या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं, जो विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं। भारत सरकार के व्यय वर्गीकरण को अधिक व्यावहारिक तरीके से देखे जाने की आवश्यकता है जहां व्यय के अंतिम परिणाम पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

40. अनुमानित घाटा लक्ष्यों के साथ, सरकार स.घ.उ. अनुपात से ऋण के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ हो जाएगी। तथापि,परिव्ययों को परिणामों में बदलने की चुनौती बनी हुई है।